UPHR010054662026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2656/2026

गुरूदेव सिंह उर्फ लाडी पुत्र स्व० जगतार सिंह निवासी श्रीरामपुर दिनेशपुर, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड।

---------- आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

दिनांक: 17.08.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त गुरूदेव सिंह उर्फ लाडी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–04/2026, अन्तर्गत धारा–318(4) बी०एन०एस०, थाना–बेनीगंज, जनपद–हरदोई के प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न ही खण्डित किया गया है और न ही विचाराधीन है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हरमन सिंह की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की तहरीर देकर रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि विपक्षीगण गुरुदेव सिंह उर्फ लाडी पुत्र सव० जगतार सिंह (मो०नं–95483XXXXX) निवासी श्रीरामपुर, दिनेशपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड व गुरुमुख सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह (मो0 न 0–63975XXXXX, 63985XXXXX) ग्राम चिचौली थाना मिलन जिला रामपुर, उपरोक्त विपक्षी लोगों को विदेश भेजने के लिए डे–टू–डे आवर्स मैगलगंज खीरी व UNITREK GLOBAL OFFICE पता मोहल्ला आवास विकास रुद्रपुर उत्तराखण्ड (परिवर्तित नाम LIBERTY LEGAL IMMIGRATION पता मोहल्ला आवास विकास रुद्रपुर उत्तराखण्ड) के नाम से मिलकर सस्था संचालित करते हैं। प्रार्थी व प्रार्थी का भाई परगट सिंह इंग्लैण्ड में पढ़ाई करना चाहते थे। विपक्षी नरेन्द्र सिह पुत्र लक्खा सिंह (मो० नं०)–99563XXXXX) निवासी सांता बेनीगज

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.08.18 15:07:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हरदोई, जो प्रार्थी के पिता सतविन्द सिंह के मिलने वाले थे, जिन्होंने प्रार्थी व प्रार्थी के पिता को विश्वास में लेकर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई को विदेश भेजने की बात कहकर विपक्षी सं–1 व 2 से निलाया। प्रार्थी ने मिलकर दिनाक 02.06.2022 का अपना व अपने भाई परगट सिंह का पासपोर्ट, 2 लाख रु नगद नरेन्द्र सिंह के सामने विपक्षीगण को दिये। दिनांक 10.06.2022 का विपक्षीगण ने प्रार्थी को फोन किया और कहा फाइल बननी है। जिस पर प्रार्थी ने अपने पिता के खाते से 01 एक लाख रुपये जरिये आर०टी०जी०एस० विपक्षी के उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक शाखा दिनेशपुर जिला उधमपुर सिंह नगर उत्तराखण्ड की खाता सं0–760249XXXXX पर भेज दिये। जिसके बाद दिनांक 16.09.2022 को उक्त लोगों ने प्रार्थी को उत्तराखण्ड बुलाकर 10000/ लेकर प्रार्थी का यस बैंक में खाता खुलवाया तथा एण्टीएम बैंक पासबुक व चेक हस्ताक्षरित कराकर सारे कागजात अपने पास जमा कर लिये तथा विपक्षीगणों ने दिनाक 21.09.2022 प्रार्थी का दिल्ली में मेडिकल कराया। पुनः दिनांक 01.03.2023 को विपक्षीगण ने प्रार्थी से यूनिवर्सिटी की फीस के नाम पर 409280/– आईसीआईसी बैंक के खाते में जो सिंह ट्रेडर्स के नाम से संचालित आरटीजीएस के माध्यम से प्रार्थी ने अपने खाते से भेजे। जिसके बाद विपक्षीगण ने प्रार्थी से बीमा के नाम पर दिनाक 08 अगस्त 2023 को 50000/–रु 42057/–रु (कुल 92057/–50) पवनदीप नामक व्यक्ति के खाते पर डलवाये। दिनांक 26 अगस्त 2023 को विपक्षीगण ने वीजा के लिए प्रार्थी से 40000/–रु गुरुदेव सिंह ने अपने खाते पर जरिये यू०पी०आई० डलवाये। काफी दिन बीत जाने के बाद भी प्रार्थी का बीजा नहीं आया तब प्राथी ने विपक्षीगण से बात की तो विपक्षीगण प्रार्थी को आज–कल, आज–कल कहकर आश्वासन देते रहे। जब प्रार्थी ने विपक्षीगणों से अपने पैसे मांगे तो विपक्षीगण ने कहा कि हम तुम्हारा कनाडा का वीजा करा देंगे। जिसके लिए गुरुमुख सिंह ने अपने खाते पर 11050/–रु लिये तथा फिर से प्रार्थी को आज–कल आज कल करके टालते रहे। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के कागजात विपक्षीगणो के पास जमा है । प्रार्थी ने विपक्षीगण से जब बहुत कहा तब विपक्षीगण ने प्रार्थी के पिता सतविन्दर सिंह के खाते पर 1 लाख रु व 1 लाख रु प्रार्थी के खाते पर भेजे तथा शेष रूपया कुछ दिनों के अन्दर देने का आश्वासन दिया किन्तु विपक्षीगण ने आज तक प्रार्थी का रुपया प्रार्थी को वापस नहीं किया। प्रार्थी ने जब बार–बार विपक्षीगण से पैसा वापस करने का आगृह किया तब विपक्षीगण ने प्रार्थी का पैसा वापस करने से साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी कि तुम्हे जो करना है कर लो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे । तुमने अगर कहीं शिकायत की तो तुम्हारे कागजात व यस बैंक की हस्ताक्षरित चेकबुक व एटीएम तहित अन्य कागजात का दुरुपयोग करेंगे । प्रार्थी उपरोक्त घटना से बहुत ही भयभीत व परेशान है तथा प्रार्थी के कागजात विपक्षीगणों के पास होने के कारण प्रार्थी का भविष्य खतरे में है। न्यायहित में प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए विपक्षीगणों से प्राथी का 6,51280/–रू व कागजात वापस दिलाते हुए विपक्षीगणों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदक/अभियुक्त व वादी मुकदमा आपस में रिश्तेदार थे पैसो की जरूरत होने पर एक दूसरे से आपस में पैसे का लेन देने कर लेते थे। आवेदक/अभियुक्त को कुछ पैसो की आवश्यकता थी, जिससे आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से 1,40,000 रूपये उधार लिये थे, समय–समय पर आपस में लेन देन होता रहता था। अभियोगी द्वारा पैसे मांगने पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा मय ब्याज सहित अभियोगी को मु० रूपये 1,50,000 वापस कर दिया गया था। जिसमें आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने मित्र गुरूबाज सिंह के खाते से दिनांक 02.12.2024 को 1,00000 रूपये तथा दूसरे मित्र संजीव कुमार द्वारा दिनांक 06.11.2024 को मु० 50,000 रुपये जरिए यू०पी०आई० वादी मुकदमा के खाते पर डाले गये थे। जिससे वादी मुकदमा का आवेदक/अभियुक्त पर कोई भी पैसा शेष नहीं बचा है। अभियोगी द्वारा उपरोक्त वाद विद्वेष पूर्ण तरीके आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। अभियोग लगभग दो वर्ष बाद पंजीकृत कराया गया है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोगी द्वारा नही दिया गया है कि उक्त अभियोग विलम्व से क्यो पंजीकृत कराया गया है। अभियोग पंजीकृत होने के बाद अभियोगी से कई बार वार्ता हुई तो अभियोगी द्वारा यह भी कहा गया कि उसने लोगो के कहने पर अभियोग पंजीकृत कराया है समय आने पर सक्षम विवेचक से समझौता कर लेगे। आवेदक/अभियुक्त गैर प्रान्त का रहने वाला है जबकि अभियोगी स्थानीय थाने से मात्र 5 किलो मीटर की दूरी पर निवास करता है। अभियोगी स्थानीय पुलिस से सांठ गांठ रखता है वह आये दिन लोगो पर फर्जी मुकदमें दर्ज कराकर पुलिस से मिलकर अवैध वसूली करता है। अभी दिनांक 21.06.2026 को इसी अभियोगी द्वारा अपने ही पड़ोस के रामशंकर के विरूद्ध पुलिस से सांठ गांठ कर अ0सं0 268/26 अं०धारा 109 बी०एन०एस० का फर्जी अभियोग पंजीकृत कराया जिसमें उक्त अपराध के अभियुक्त के द्वारा पुलिस अधीक्षक को सारी बात बतायी जिससे सच्चाई सामने आयी और पुलिस अधीक्षक भी यह स्वीकार किया गया कि अभियोगी द्वारा फर्जी अभियोग पंजीकृत कराया गया उक्त गम्भीर अपराध के अभियोग को पंजीकृत कराकर अभियोग अनुचित धन पैदा करना चाहता था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत उक्त मुकदमें विवेचक अभियोगी के साथ उठता बैठता है जिससे विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त से कभी कोई पूछताछ नहीं की गयी और फर्जी तरीके से स्थानीय थाने पर बैठकर मुकदमें का निस्तारण करते हुए आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधिक सिद्वान्त है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अभियुक्त का पक्ष सुने बिना सम्मानित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रार्थी का कोई बयान नही लिया गया तथा अभियोगी को लाभ पहुंचाने की नियत से आरोप पत्र आवेदक/अभियुक्त का बयान बिना लिये प्रस्तुत किया गया। अभियोग जाल साज अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है अभियोगी एंव उसके परिवारीजनो का अपराधिक इतिहास है तथा झूठे मुकदमें पंजीकृत कराकर लोगो से

धन उगाही करते है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा संस्था का संचालन किया गया जबकि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई भी संस्था का संचालन कभी भी नही किया गया है।आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व उसके भाई को दिल्ली बुलाकर उनका चिकित्सीय परीक्षण नही कराया गया है आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमें से सम्बन्धित कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य नही है और न ही वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजात ही आवेदक/अभियुक्त के पास है। वादी मुकदमा द्वारा मनगढन्त व झूठे तथ्यो को दर्शाकर उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त का उक्त मुकदमा से कोई सरोकार वास्ता नही है आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है उसे वादी मुदकमा द्वारा धनराशि प्राप्त करने के उददेश्य से उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नही किया गया है क्योकि उक्त अपराध में दण्डादेश की अवधि 7 वर्ष है। आवेदक/अभियुक्त का कोई भी अपराधिक इतिहास नही है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका, याचिका सं0 6967/2026 योजित की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा आवेदक/अभियुक्त को समक्ष श्रीमान अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उसके भाई को विदेश भेजने तथा वीजा दिलाने का विश्वास दिलाकर विभिन्न मदों में कुल ₹6,62,391/- की धनराशि प्राप्त की, किन्तु न तो विदेश भेजा और न ही वीजा दिलाया तथा धनराशि वापस करने से भी इन्कार कर दिया। विपक्षीगण द्वारा वादी मुकदमा को विश्वास में लेकर बेईमानीपूर्वक धनराशि प्राप्त कर छल किया गया। उक्त आधारों पर अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि धारा 318(4) बी०एन०एस० में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अपराध के लिए सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान है। प्रकरण में विवेचक द्वारा धारा 35(3) बी०एन०एस०एस० का तामीला करने के उपरांत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है तथा दौरान विवेचना आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। **श्रीमती बच्ची देवी बनाम स्टेट आफ यू०पी० दिनांकित 12.08.2025 Neutral Citation No.–2025 : AHC : 136034** में प्रावधानित किया गया है कि "ऐसे मामले में जहां अभियुक्त

को गिफ्तार किये बिना आरोप पत्र प्रेषित किया गया है– चाहें इस लिये कि जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान अभिरक्षा में लेकर पूछताछ नहीं की गयी या आरोपी ने संविधान के अनुच्छेद 226 या बी०एन०एस०एस० की धारा 528 के तहत सुरक्षा आदेश/अग्रिम जमानत आदेश प्राप्त कर लिये हो और जांच के दौरान विधिवत सहयोग किया हो तो परीक्षण न्यायालय समन के अनुसार पेश होने पर अभियुक्त को हिरासत में नहीं भेजेगा न ही नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करने पर जोर देगा। आरोपी को पहली बार पेश होने और व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी। बी०एन०एस०एस० की धारा 91 के अन्तर्गत जमानत की आवश्यकता पर बाद में न्यायालय के विवेक पर विचार किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्रकाश में इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोई आशंका होना प्रतीत नहीं होती है। आवेदक/अभियुक्त **श्रीमती बच्ची देवी बनाम स्टेट आफ यू०पी० दिनांकित 12.08.2025 Neutral Citation No.–2025 : AHC : 136034** के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **गुरूदेव सिंह उर्फ लाडी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार विवेचन के अनुरूप निरस्त किया जाता है।

(रीता कौशिक)

दिनांक–17.08.2026

सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।